

No. HQ/PIO/RTI/149/14

Date: 05.08.2014

Shri Ghanshyam Tripathi,
Advocate,
In front of Well (East),
Court Compound,
Kanpur Nagar.


Sub: Information under RTI Act - 2005

Ref: Your application dt. 16.06.2014, received on 20.06.2014.

संबंधित विभाग से प्राप्त सूचना निम्नलिखित है:-

- मद्- 1:- ग्राम-खानपुर चैन, तहसील-डेरापुर, जिला-कानपुर देहात, का सक्षम प्राधिकारी द्वारा घोषित अभिनिर्णय दिनांक 08.02.10 की छायाप्रति की नोटरी द्वारा प्रमाणित मूलप्रति संलग्न है। (4 पृष्ठ)
- मद्- 2 एवं 3:- डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लि. रेल मंत्रालय भारत सरकार की विशेष पूर्वी मालमाड़ा परियोजना में प्रभावित भूमि के भू-स्वामियों को 'मौलिक पात्रता' के अन्तर्गत, नीति के प्रावधानों के अनुसार नियमानुकूल लाभ प्रदान किये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कोई योजना इस परियोजना में लागू नहीं होती है।
- मद्- 4:- रेल मंत्रालय द्वारा डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लि. को भूमि के बदले नौकरी के कोई निर्देश जारी नहीं किए गए हैं।

DA: As above (4 pages)


(Rajiv Bhatnagar)
DGM/ RTI

Katy
6/8/14